

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या-05/2022

रथु मुण्डा वगै० बनाम् राज्य एवं बसंत महतो वगै०

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

18/02/2022

--: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी रथु मुण्डा, पिता-स्व० मुटरा मुण्डा एवं मेघु मुण्डा, पिता-स्व० हरि मुण्डा, दोनों का निवास ग्राम-रुण्डइय, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या-30/2012-13 रथु मुण्डा वगै० बनाम् बसंत महतो एवं अन्य में दिनांक-03.11.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध U/s-215 C.N.T. Act के तहत अपील दायर किया गया है। दायर अपील आवेदन के साथ U/s-5 of Limitation Act के तहत कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु आवेदन संलग्न है।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का U/s-5 of Limitation Act के तहत कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु दायर आवेदन पर बहस सुना एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-30/2012-13 रथु मुण्डा वगै० बनाम् बसंत महतो एवं अन्य में दिनांक-03.11.2017 को पारित आदेश विधि-संगत नहीं है। विलम्ब हेतु U/s-5 of Limitation Act के तहत दायर आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद अंगीकृत कर सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि U/s-5 of Limitation Act के तहत दायर आवेदन पोषणीय एवं विचारनीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया के तहत वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण को निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तीस (30) दिनों के अन्दर अपील दायर करना था, परन्तु लम्बे अवधि अंतराल के पश्चात् आवेदन दायर किया जाना नियम/अधिनियम के विपरीत है। इनका कहना है कि अपीलार्थीगण की ओर से दायर भू-वापसी अपील आवेदन कालबाद्धित है, इन्होंने अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :-

भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या-30/2012-13 रथु मुण्डा वगै० बनाम् बसंत महतो एवं अन्य में दिनांक-03.11.2017 को आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से इतने लम्बे अवधि अंतराल के पश्चात् दायर अपील आवेदन के परिप्रेक्ष्य में कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु U/s-5 of Limitation Act के तहत जो कारण दर्शाया गया है, वह तथ्यात्मक/विचारनीय तथा पोषणीय योग्य नहीं है।

आदेश :-

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के विचारों से सहमत होते हुए अपीलार्थीगण की ओर से दायर भू-वापसी अपील आवेदन को कालबाद्धित मानते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित
शाथवी क्रिया
18-02-2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाथवी क्रिया
18-02-2022
उपायुक्त,
रामगढ़